



राजस्थान विश्वविद्यालय University of Rajasthan

Phone: +91-141-2711070; EPBX.: 612
Email: drteachinguniraj@gmail.com


No. Estt.-I/2021/ 1411

Date: 03/03/2021

कार्यालय आदेश

कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 19.02.2020 की अनुपालना में विधि विभाग के निम्नांकित सहायक आचार्यों को उप-प्राचार्य, विधि महाविद्यालय केन्द्र-2, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के पद पर दिनांक 23.02.2021 से एक वर्ष या अग्रिम आदेश, जो भी पहले हो, के लिए विश्वविद्यालय नियमानुसार अभिवृद्धि प्रदान की जाती है:-


1. श्री तरुण कुमार जोनवाल
2. श्री राजेश गौड़


(कै. एम. दूडिया)
कुलसचिव

क्रमांक: संस्था-I/विधि-II-150-D/2020/ 1412-29

दिनांक 03/03/2021

1. समस्त विभागाध्यक्ष, शैक्षणिक विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
2. समस्त प्राचार्य, संगठक महाविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
3. मानद निदेशक, पी.जी. स्कूलस/केन्द्रीय पुस्तकालय/प्रबन्धन/गाँधीयन स्टडीज/जैन स्टडीज, आदि, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
4. डॉ. तरुण कुमार जोनवाल, सहायक आचार्य, विधि महाविद्यालय, विभाग, रा.वि.वि., जयपुर।
5. डॉ. राजेश गौड़, सहायक आचार्य, विधि महाविद्यालय, विभाग, रा.वि.वि., जयपुर।
6. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
7. मुख्य आवासाधिकारी(पुरुष/महिला), राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
8. मुख्य कुलानुशासक, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
9. समस्त उप-कुलसचिव/सहायक कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
10. निजी सचिव, कुलपति/कुलसचिव, रा. वि. वि., जयपुर।
11. निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
12. जनसंपर्क अधिकारी, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
13. व्यक्तिगत पंजिका।


(डॉ. एन. एल. माली)
अनुभागाधिकारी (संस्था.-I)

03/03/2021